(2) G.S.R. 577 (E) dated 30.6.2000 publishing the corrigendum in respect of the Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobile) Order, 2000.

Notifications of the Ministry of commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DR. RAMAN): Sir, I lay on the Table, under sub-section (8) of Section 18 of the Explosives Act, 1884, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy & Promotion)-

(1) G.S.R. 141 (E) dated 18.2.2000 publishing the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) (Amendment) Rules, 1999.

(2) G.S.R. 197(E) dated 8.3.2000publishing the Explosives (Amendment) Rules, 1999 alongwith the delay statement.

STATEMENT OF COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

SHRI JIBON ROY (West Bengal) : Sir, lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the statement showing Action Taken by Government on the recommendations contained in Chapter I and final replies in respect of recommendations contained in Chapter V of Third Action Taken Report (Eleventh Lok Sabha) on Power Finance Corporation Limited.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Further Relaxation in Jute Packaging order and its Adverse Effects on Jute Farmers, Workers and the Industry in General

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, I call the attention of the Minister of Textiles to the further relaxation in jute packaging order and

its adverse effects on jute farmers, workers and the industry in general.

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): Sir, at the outset, I would like to assure the hon. Members who have moved the notice for discussion on this matter that the Government is well aware of the issues concerning jute sector and its importance in our country's economy. The Government has been taking various measures in the past not only to protect but also to facilitate the growth of this sector.

Sir, we are keen to ensure that the jute farmers get the maximum benefit out of Government's initiatives and interventions. With a view to enabling the jute farmers to get remunerative prices of their crop, the Government has a Minimum Support Price Policy. The Jute Corporation of India, which was established in 1971, implements the same. The MSP for TD 5/ex Assam during 1998-99 was Rs. 650/- per quintal. The Government increased this to Rs. 750/- per quintal in 1999-2000, and further to Rs. 785/- per quintal in 2000-01. The JCI has already entered the market and has purchased 89,000 quintals of raw jute under the MSP so far. The JCI operated 171 centres in the jute-growing areas. In addition, the JCI has tied up with the cooperative societies and the cooperative organisations of the State Governments to increase the coverage of the MSP operations.

Sir, as the main usage of jute has been in the form of packaging, this sector faced rough weather with the emergence of plastic as an alternative packaging material in 1980s. Hence, to protect the interests of those engaged in this sector, the Government enacted the Jute Packaging Materials Act, 1987 providing for compulsory use of jute in packaging of certain commodities. Orders issued under this Act on 1.7.1999, and modified on 31.3.2000 provided for packaging 90 per cent of foodgrains and sugar and 15 per cent of urea in jute bags.

The validity of the order which was to expire on 30th June, 2000 has been extended up to 31st July, 2000 and then upto 30th September, 2000. The Government has not issued any new order for the Jute Year 2000-01. The Government intends to issue a new order before 30th September, 2000 after considering various factors like the size of the jute crop, the expected quantity of production of foodgrains and sugar, the impact of the introduction of 50 kgs. bags in certain sectors etc. Government has been taking a balanced view in the matter, considering all

aspects of the issue and keeping in mind the interests of the jute farmers and the workers engaged in the jute industry. The Government's main concern is to ensure that these initiatives benefit the jute farmers.

Sir, I hope the Hon'ble Members would agree that the position explained by me clearly indicates that the Government is alive to all the issues of the jute sector and is addressing these issues appropriately.

SHRI SANTOSH BAGRODIA : Mr. Chairman, Sir, before I refer to the statement which the hon. Minister has just given today, first, I draw the attention of the hon. Minister, through you, to the Short Duration Discussion, which we had on the 12th of May, when the hon. Minister had given an assurance that:

> "यह हमारी इच्छा नहीं थी कि हम डाइल्यूट करें आर्डर को, लेकिन कम्पल्शन हो गया। मिल वालों ने इतने लम्बे समय तक स्ट्राइक की, 75 दिन हो गये ।

The second sentence--Sir, I quote from page No.821 of the record of the Parliament--reads:

> "अगर स्ट्राइक नहीं होती तो यह डाइल्यूशन नहीं आता । हमने भी कोई परमानेंट डाइल्यूशन नहीं किया है, हमने 30 जून तक डाइल्यूशन किया है । अभी 23 मई को स्टेंडिंग ऐडवाइज़री कमेटी की मीटिंग रखी है, हमारी वैसी ही पारदर्शिता है, ट्रांसपिरेंसी है इन ऐडमिनिस्ट्रेशन, वह जो भी तय करेगी, उसके आधार पर हम जरूर सोचेंगे ।

Hon. Chairman, Sir, at this point, I would like to draw the attention of the House to the Annual Report of the Reliance Industry Limited, dated as early as 5th May, 2000, - which was, probably, written much earlier-in which it is mentioned:

> "In another major initiative, the Government has relaxed the provisions of the Jute Packaging Material Act (JPMA) 1987, in March, 2000. The JPMA provided that 100% of foodgrains and sugar were to be packed in jute bags only, while a minimum 20% of urea had to be packed in jute bags.
>
> With the recent relaxation, this limit for packaging of foodgrains and sugar has been reduced from 100% to 90%, and likewise, for urea, from 20% to 15%.

This has the effect of opening up a completely

--I underline once more, Sir, 'This has the effect of opening up a completely'--

new market for polymers, as the backing of foodgrains and sugar stands opened to polymers for the first time in decades. This is likely to add significantly to domestic demand for these products.

With its international scale and integration of operations, demonstrated global competitiveness, leading domestic market shares, strong customer relationships and extensive marketing and distribution network, Reliance is ideally positioned to benefit"

--Sir, I like to underline 'to benefit'--

"from the growing home markets for polyester and polymers."

Sir, I still do not like to feel for a minute that there is any kind of influence on the hon. Minister.

I feel he has been misguided by the advisors, by the Department. This kind of collusion is going on from time to time. He has mentioned in today's statement that the Government has been taking various measures in the past not only to protect--I would like to lay emphasis on the word "protect" - but also to facilitate the growth of this sector. How does the dilution protect the jute industry? How does it facilitate the growth of the sector? I don't know. He has mentiond that the Government intends to issue a new order before 30th September, 2000, after considering various factors like the size of the jute crop, keeping in mind the interests of the jute farmers and the workers engaged in the jute industry. But any action taken for the dilution cannot be in the interests of the jute farmers and the workers. I would be very happy, if the hon. Minister can explain and enlighten me as to how it will help the jute farmers and the workers and let me understand what kind of help the Government is doing by this kind of an action. I would like to mention, just for the information of the hon. Minister, that today the price of raw jute has gone down by 35 per cent. It has gone below the MSP. You can go on increasing the MSP. But in

actual practice the farmers are not going to get this rate. The Jute Corporation of India doesn't have enough fund to buy all the jute. Even if they buy, the mills will not buy the jute goods. Where can they sell the jute goods, if you are going to dilute this? In an earlier meeting, I had once suggested to the hon. Minister that by this kind of dilution of percentages he was only misguiding the country. He is misguiding everybody, including the House, by saying, "I have only diluted it by 15 per cent". Do you have the machinery to monitor it, whether it is 15 per cent dilution or 100 per cent dilution? Our experience for the last 15 years has been that in the case of cement it has been diluted by 50 per cent. The next day onwards the cement industry has not used jute goods. I have requested him, "please allow foodgrains only. If you are so bent upon, for various reasons, to destroy the jute industry, if you have to destroy this industry, please destroy it at one stroke. Don't do it slowly". If you say, "we will allow only foodgrains, I don't mind". Let sugar industry use fully plastics, no matter. But don't do it by percentages. You have no machinery to check it.

The hon. Minister was quite right when he said that his Ministry did not use this power to dilute sugar packaging by 20 per cent as jute bags were always available in plenty at all times, and that there was no shortage whatsoever, as per Government's own records, and the fact that only jute bags were used in packaging foodgrains and sugar makes it self-evident.

The hon. Minister referred to the indents made for jute bags for packaging foodgrains during *rabi* procurement this year. We are all aware that the procurement commences from March and goes up to May or June every year. The rabi-procuring agencies did indent 6,72,930 bales, roughly 6,75,000 bales, as mentioned by the hon. Minister, and the industry had supplied more than 4,50,000 bales by March. The balance quantity was supplied by the mills during April and May. There were no reports of anybody buying anything, but jute bags for packaging foodgrains and sugar, as a result of any shortage anywhere. There were daily open-market quotations of bags for sugar and foodgrains indicating plenty of availability at all times. The bogey of shortage was deliberately projected and the issue of strike was made a ruse at the behest of vested interests.

I agree that some trade unions in West Bengal had called for a strike from 22nd March, 2000. Out of the 72 jute mills, 59 jute mills are working in West Bengal and the remaining mills are located outside West

Bengal, where there was no such call for a strike. Out of the 59 jute mills in West Bengal, 6 mills did not go on strike at all, and the strike fizzled out from the very next day when 9 mills resumed work, and by the end of March, out of the 59 jute mills, 29 jute mills resumed work. All jute mills in West Bengal, except one, were working before the end of April. Hence the Minister's statement that the strike continued for 75 days was not, in fact, correct. The jute industry strike, which took place, was only partial and by the time the Government issued the Notification dated 31st March, the strike had been called off in more than 50 per cent of the jute mills in West Bengal itself. The Notification dated 31st March was, therefore, not only perverse but also without authority as no such recommendation was made by the Standing Avisory Committee, a statutorily constituted body under the Act, and that it was issued in clear breach of the 1987 Act as this was against the interests of the people whom it was supposed to protect.

Mr. Chairman, Sir, the situation is truly alarming in as much as the Government is blatantly and clearly acting against the specific provisions of the law enacted by both the Houses of Parliament. The SAC is also not paying much heed to the mandate given to it by Sections 4(1) and 4(2) of the Act. They are mostly acting on the basis of the preferences indicated by their respective Departments or Ministries. During their meetings they do not even deliberate on the specific directions given to them in the Act and to protect their illegal conduct, they make the minutes of the meetings secret. They do not seem to realise that the SAC is a creature of the statute and they need to make their recommendations as per the directions provided in the statute and give the reasons in an open and transparent manner. Being a creature of the statute, they are a quasi-judicial body.I request the hon. Minister to place the minutes of the meetings held in the last five years on the Table of the House so that the nature of the game they are playing shall stand revealed. On top of it, the hon. Minister who is supposed to protect his Ministry's interest and thereby the interest of the jute sector is himself working in the opposite direction. I am sorry for quoting a saying, "'जब बाड़ ही खेत को खाए तो खेत का क्या होगा'.

In other words, when the fence which is supposed to protect, encroaches upon its own territory, there can be only disaster. In the common language, it amounts to the Rakshak becoming Bhakshak or the protector turning predator. Mr. Chairman, Sir, this was the Ministry of Textile's own legislation but there is not a single instance of the Government

taking effective measures to have its own statutory orders implemented under the Act. The 1987 Act had earlier been challenged but the Court never granted any stay order. Even after it was upheld by the Supreme Court of India in the year 1996, no meaningful and effective action has been taken by the Ministry of Textiles to secure compliance of its own orders. The Act provides wide powers. There is supposed to be the rule of law in our republic. The executive is bound to implement the law; otherwise, the Government should come forward and ask the Parliament to repeal the law. They know that they cannot do so. They will never get the support for such a repulsive move to protect the defaulters and take away the protection to the jute sector. So a conspiracy has been hatched to hoodwink the law and even mislead this august House. I cannot but remind the House that this is an issue which concerns more than 30 million people in our country It is not a small matter that we are talking about.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I will take two minutes more. This very Ministry had commissioned a study by the Indian Institute of Technology, Kharagpur to assess the comparative advantages and disadvantages between jute bags and synthetic bags and a detailed report was submitted by I.I.T. Kharagpur during February, 2000 after a great deal of study. The study says that jute bags are, on the whole, superior than synthetic bags and, in fact, cost much less in the long term and if the sustainable economic growth parameters are duly taken into account, all our efforts should be made to promote the jute sector. This annually renewable agro-based industry is, in fact, a national asset and it must not only be preserved and nurtured but ought to be made highly growth oriented. Manufacturing of both agriculture and jute goods is a highly labour- intensive economic activity and millions of people in our country, over 30 million people, depend either partially or wholly on the jute industry.

Mr. Chairman, Sir, I request the hon. Minister to place the minutes of all the meetings of the Advisory Committee on the Table of the House and explain to the House as to how reducing the jute bags' reservation percentage is in the interest of the jute growers and persons working in this sector, as claimed by his Ministry in the Gazette Notifications. I understand from the latest reports that the Minister and the Prime Minister have already agreed to review the matter. The CCEA approval granted earlier on the

basis of misrepresentation has reportedly been held up, as the matter is being referred back to the SAC. But this exercise must be transparent. The very fact that the dilution which was effected on 31st March was for a short period on account of a threatened strike - which, in fact fizzled out, -- but was extended once again on 30th June and again for two months on 31st July, clearly shows that the Ministry of Textiles is not acting fairly. How can the Government justify the extensions given to a temporary measure when the cause itself had withered away? I would just quote one sentence...

MR. CHAIRMAN: That is all.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Okay, Sir. Thank you.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है उस बयान में उन्होंने टाट उत्पादकों, जूट उद्योग और श्रमिकों के हितों की रक्षा की बात कही है और उन्होंने कहा कि उन्होंने बेलेंश्ड व्यु अपनाया है। सभापति जी, शब्द का अर्थ किस तरह बदल जाता है यह मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगी। आप सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन मजदूरों के हितों के दृष्टिकोण से देखें, टाट उत्पादकों के हितों के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अपना यह निर्णय ठीक नहीं लगेगा। मैं समझती हूं कि यह निर्णय एक अराजक निर्णय है, एक अन्यायपूर्ण निर्णय है, एक अविवेकपूर्ण निर्णय है, कानून की भावनाओं के विपरीत निर्णय है और सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत है और एसएससी के आदेशों के भी विपरीत है।

सभापति जी, टाट उद्योग के साथ विशेषकर पूर्वी भारत के अढ़ाई करोड़ लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और अढ़ाई करोड़ लोगों की जिंदगी की जीवन रेखा कोई रेत पर खींची हुई रेखा नहीं है जिसे आप अपने आदेश से मिटा दें।

सभापति जी, इस उद्योग के साथ पूरे भारत के 40 लाख टाट उत्पादक किसान जुड़े हुए हैं, अढ़ाई लाख मजदूर जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही इससे संबंधित अन्य उद्योग हैं, उनके भी पांच लाख लोग जुड़े हुए हैं यानी अढ़ाई करोड़ से अधिक लोगों का जीवन इससे जुड़ा हुआ है। ऐसे महत्वपूर्ण मामले में आप निर्णय लेते समय इसके तमाम पहलुओं पर गंभीरता से विचार न करके अराजक ढंग से एक दृष्टिकोण लेते हैं, उसका भयंकर प्रभाव हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था पर विशेषकर पूर्वी भारत की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

सभापति जी, मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने कोई नया निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने उसी निर्णय को बहाल रखा है। उन्होंने किस निर्णय को बहाल रखा है, उन्होंने एसएससी के 31 मार्च के निर्णय को बरकरार रखा है। जिस निर्णय को खुद एसएससी ने अपनी 31 मई की बैठक में निरस्त कर दिया था कि हमारे इस निर्णय को निरस्त कर दिया जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं

है। आपको कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि आपने उस निर्णय को और बढ़ा दिया है।

सभापति जी, जूट पैकेजिंग मैटेरियल एक्ट 1987 में बना था। आज भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है क्योंकि जब यह एक्ट बना था उस समय भी इस एक्ट के तहत इस बात की व्यवस्था की गई थी कि हमारे देश में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था अपनाई जा रही है। हमारे देश में यह जरूरी है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस निर्णय में यह आदेश दिया था। सभापति जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पढ़कर सुनाना चाहूंगी। मंत्री जी शायद उसको भूल गए हैं, आप शायद भूले नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस निर्णय में कहा था कि जब से यह एक्ट बना है तब से इस एक्ट के खिलाफ उद्योगपतियों की एक लॉबी लग गई है और लगातार इस बात की कोशिश करती रही है कि इस एक्ट में डायल्युशन किया जाए। बार-बार पैकेजिंग के मामले में डायल्युशन किया जाता रहा है, बावजूद उस एक्ट की तमाम धाराओं का उल्लंघन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के अपने फैसले में यह कहा था कि "The executive policy of the State should be cognizant to these mandates which should always bind the government and all agencies, including private agencies. As seen, the Advisory Committee constituted under Section 4 has recommended 100 % use of packing the sugar with gunny bags. On consideration of the report, the Government had acted upon the same. The economic policy to render socio-economic justice to the growers of the raw jute and the workman is based on the above constitutional policy lest the report of the Committee on the basis of a free market economy would be in negation of the Preamble, the Directive Principles and the Fundamental Right to economic justice to the agriculturists.

लेकिन जिस तरह हमारे संविधान के तमाम सांवैधानिक प्रावधानों का, तमाम नीति निदेशक तत्वों का आज तक की सरकारें उल्लंघन करती रही हैं, आपकी सरकार एक कदम आगे जाकर संविधान की तमाम मूल भावनाओं का उल्लंघन कर रही है और उनका उल्लंघन करते हुए आपने यह जो निर्णय लिया है, मैं समझती हूं कि यह बहुत ही खराब है । सभापति महोदय, मुझे याद आता है कि आपसे पहले जो सरकार रही है - कांग्रेस की सरकार और अब आप पूर्वी भारत के प्रति उपेक्षा का भाव और वंचनापूर्ण रवैया अपनाते रहे हैं । महोदय, हम वह दिन भूले नहीं हैं, वह इतिहास हम नहीं भूल सकते । ..**(व्यवधान)**..

श्री सभापति : आप क्वेश्चंस कीजिए । It is not a debate. You have to ask questions.

SHRIMATI SARLA MAHESHWARI : Yes, Sir. I am asking questions. वह इतिहास तो आपको याद होगा कि उस वक्त पूर्वी भारत उद्योगों के संबंध में कितना आगे बढ़ा हुआ था और क्यों वह उद्योगों के मामले में पिछड़ गया । सरकार की नीतियों की वजह से । क्या आपको यह पता नहीं है ? क्या आपको यह पता नहीं है कि आपकी विभेदपूर्ण नीति के चलते, आपकी लाइसेंस की नीति के चलते, आपके विभिन्न वित्तीय संस्थानों की नीति के

चलते ऐसा हुआ है । आज फिर आप ऐसी नीति अपना रहे हैं । सभापति महोदय, इसका पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था से संबंध है इसलिए मैं उस इतिहास को याद दिलाना चाहती हूं कि आप फिर उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं । इसका कोई तर्कसंगत कारण नहीं है । जब ऐक्ट में स्पैशल प्रावधान बने हुए हैं कि आप इनका डायल्यूशन नहीं कर सकते , उसके बावजूद लगातार डायल्यूशन होता रहा । सीमेंट के मामले में पूरी तरह हटा दिया गया, चीनी के संबंध में डायल्यूशन होता गया लेकिन सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि विभिन्न एजेंसियां और विभिन्न फैक्ट्रीज इस आदेश का पालन कर रही हैं कि नहीं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि आपने जो निर्णय लिया है, क्या इस निर्णय को लेते वक्त आपने इस बात की तहकीकात की कि किस तरह से एक्ट के ऊपर अमल हो रहा है ? क्या इस एक्ट के ऊपर अमल हो रहा है या नहीं और अगर नहीं हो रहा है तो इसके क्या कारण हैं ? आपने यह जो कारण दिये हैं कि जूट उद्योग में हड़ताल थी उस संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में 59 जूट मिले हैं जिसमें से 44 जूट मिलें खुल चुकी हैं और 14 मिलें बंद हैं और उनका उत्पादन सिर्फ 14 परसेंट है जिसका कोई असर नहीं है । सिर्फ चंद उद्योगपतियों के दबाव के चलते सरकार ने यह निर्णय लिया और अब जबकि जूट का, पाट का बम्पर उत्पादन हुआ है..

MR. CHAIRMAN : Your time is over now. You are repeating the same argument three times.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि पाट का इतना बम्पर उत्पादन हुआ है इसके बावजूद आपने यह निर्णय क्यों लिया ? उसमें क्यों कटौती की ? पर्यावरण की दृष्टि से जूट हमारे लिए बहुत लाभदायक है लेकिन उसके बावजूद आप उस पहलू की पूरी तरह उपेक्षा कर रहे हैं और सिंथैटिक बैगों के बाजार को और बढ़ावा दे रहे हैं । मैं समझती हूं कि यह जूट उद्योगों के लिए, पाट उत्पादक किसानों के लिए गंभीर मसला है और सरकार अपने इस निर्णय को वापिस ले । धन्यवाद ।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, the mover of the Calling-Attention Motion, Shri Santosh Bagrodia, has dealt with the issue quite elaborately. Many questions have been posed. It has been clearly exposed that the Government of India, particularly the present Government, is out to promote the interests of some very big companies and that the traditional industries, the pioneering industries, which are associated very closely with the history of industrial development of this country, are getting systematically perished. I need not repeat it. The previous speaker, Shrimati Sarla Maheshwariji, has asked certain questions.

MR. CHAIRMAN : You please ask only questions.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Yes, Sir, I am coming to the point. The previous speaker, Shrimati Sarla Maheshwariji, had already spelt out

that the impact of the discriminatory policies of the Government of India is being felt by the eastern zone as a whole, and West Bengal and Assam in particular, and this has become a perennial problem. Since quite some years, particularly, after the liberalisation process or policy has been adopted, a number of representations have been made, including a representation to the hon. Prime Minister, and we have got a number of assurances, including the assurances from the hon. Minister, Shri Kashi Ram Rana. But these assurances had not been implemented up till now. These assurances have remained mere assurances and have not been implemented in any way. Naturally, millions of people are languishing and the entire industry is facing a serious crisis. Only a few days back, we, the MPs from West Bengal, met the hon. Prime Minister on this issue. The Textile Secretary was also present there.There also, the Prime Minister has, in a way, assured us that proper steps would be taken so that this perennial problem can be taken care of. But, Sir, I am very sorry to say that no proper steps are being taken in this direction.Instead of taking proper steps to promote the interests of the workers of the jute industry and of the millions of farmers and their families, the Government as has been exposed, or, as you all know -- is promoting the synthetic bags which are highly detrimental to the cause of the environment of our nation as well. Sir, those things which are being banned internationally, are being promoted over here, in the interest of some companies. Sir, I would like to ask of the Minister whether the interest of the nation is paramount to him, or, his primary interest is to promote the interests of some companies, be it national or international. Ambani is national; but many international companies, many transnational companies are also interested in further plundering the market of ours. Sacrifice of our interests at the altar of environmental degradation of our country; many of the companies are interested in this. Should we protect and promote the interest of our indigenous industries, or, should we help the plunderers - multinational corporations, transnational corporations, etc. The Minister should clearly come out to allay our apprehensions that no conspiracy is being hatched in this regard. I once again say that some conspiracy is being hatched perpetually by the Ministry at the altar of the entire nation, and particularly, at the cost of the farmers of this country. The Minister should come out clearly because there are apprehensions in the minds of the people. I once again repeat that there are apprehensions that systematic measures have been taken to uphold the interests of some very big companies which are destroying the ecology of our country. This is my first point.

Secondly, the hon. Minister should not take refuge behind something which does not exist. He has unnecessarily taken the plea that there was a 75 days' strike in West Bengal. That is not a fact. In fact, it is trampling of the truth. The truth should not be trampled and the House should not be misled and misguided. The country should be informed of the actual facts. So, Sir, with these words, I request the Minister to come out clearly and allay our apprehensions and the apprehensions of the nation.

श्री मनमोहन सामल (उड़ीसा) : सभापति महोदय, आज हमारे माननीय सदस्य जो further relaxation in jute packaging order and its adverse effects on jute farmers, workers and the industry in general के बारे में कॉलिंग अटेंशन लाए हैं और मंत्री महोदय ने जो लिखित जवाब हमारे सामने रखा है, इस बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ बातें हाऊस के सामने बताई हैं । अब एग्रीकल्चरल और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मामला है जो लाखों आदमियों को रोज़ी-रोटी देता है ।

इस मामले में मैं थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूं और मेरा प्रदेश उड़ीसा है। उड़ीसा में जूट की इंडस्ट्रीज बहुत कम हैं, एक इंडस्ट्री अभी भी है। लेकिन कलकत्ता जूट मिल में काम करने वाले हजारों आदमी उड़िया हैं। मुझसे पहले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। काफी साल हो गए हजारों आदमियों को काम धन्धा नहीं मिला है। कलकत्ता में बहुत ज्यादा यूनियन बाजी होती है और छोटी-छोटी बात पर आंदोलन होते हैं। इस बारे में यहां जरूर चर्चा होनी चाहिए। पिछले बीस-पच्चीस सालों में काफी मिलें बन्द हो चुकी हैं। 2 मार्च को 59 मिलें थीं। यहां बताया गया है कि 14 मिलें बन्द हुई हैं लेकिन मुझे जानकारी है कि अभी तक 22 मिलें बन्द हुई हैं। यहां पर हजारों आदमी आकर अपनी रोजी-रोटी कमाते थे। कलकत्ता जूट मिल का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अभी कुछ वर्कर्ज लोग अपने घरों को वापस लौट गए हैं। उन्होंने तीन साल, पांच साल और सात साल तक वेट किया, इसके बाद वे अपने घर वापस चले गए। मैं इस कालिंग अटैंसन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्कर्ज और फार्म्स के लिए जैसा मंत्री जी ने कहा कि अंतरिम आर्डर है, फाइनल आर्डर नही है, मैं बताना चाहता हूं कि यह आर्डर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी जो एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा प्रमुखता इस बारे में देनी चाहिए। यह हमारी सरकार की नीति है, हम इसका पालन करते हैं और हमारे मंत्री जी भी इसका पालन करते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जहां 2.5लाख वर्कर्ज थे वहां अभी भी 75,000 वर्कर्ज काम पर नहीं हैं, यह पॉलिसी केन्द्र सरकार के खिलाफ नहीं है? इस बारे में सभी को सोचना पड़ेगा और इसके समाधान का कोई सूत्र निकालना पड़ेगा। आज हम सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं, यह किसी पार्टी विशेष का मामला नहीं है, सबका मामला है और इस बारे में सबको सोचना पड़ेगा। 1994-95 में 8.7 मिलियन की डिमांड थी..

श्री सभापति : यू आस्क दि क्वेश्चन।

श्री मनमोहन सामल : सर, एक शब्द के बाद पूछूंगा। लेकिन सप्लाई 8.5 थी और प्वाइंट 02 हमारे पास शार्ट था। मैं मंत्री जी के सामने कुछ प्रश्न और सुझाव रखना चाहता हूं। Give encouragement to the jute farmers by way of good support price. इनको ठीक मूल्य मिलना चाहिए। Ensure employment to the jute workers, giving special subsidy to the exporters of jute items. Research and development should be encouraged in the different use of jute and in jute plants.एक रिपोर्ट में लिखा है कि जूट प्लांट कागज में लगता है। इस बारे में मंत्री जी को भी सोचना चाहिए। New technology should be applied so that jute is used for different purposes. Biending jute with cotton for production of curtains, doormats and furnishing fabrics should be encouraged. NGOs should be encouraged to develop handicraft made of jute fibre. इस कालिंग अटैंशन के माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैं कॉस्टल उड़ीसा से आया हूं और यह ईस्टर्न जोन है। यहां के काफी परिवार जूट पर निर्भर हैं इसलिए जितना खर्चा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पर आता है, यह खर्चा किसान को मिलना चाहिए और जो छोटी-छोटी कोटेज इंडस्ट्रीज हैं इनको डेवलप करने के लिए कुछ सोचना चाहिए। इस बारे में मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक गंभीर मामला है और जो फूडग्रेन में10 परसेंट और यूरिया में 5 परसेंट कटौती हुई है इससे जूट पैकेज पर असर पड़ेगा। इसलिए मंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए और कंसीडर करना चाहिए।

SHRI V.V. RAGHAVAN (Kerala) : Mr. Chairman, Sir, the Government has declared...

MR. CHAIRMAN: You put only questions.

SHRI V.V. RAGHAVAN : Sir, on behalf of the farmers, I have only one question to put. Sir, the Government has declared a Minimum Support Price. When the Government declares a Minimum Support Price, it is the duty of the Government to ensure that this price is given to the farmers and the procurement is carried on. Sir, they have entrusted the procurement of jute to the JCI, the cooperative societies and the cooperative organisations. They do not procure the whole produce due to which the farmers do not get the declared MSP. So, you cannot evade your responsibility by entrusting the job of procurement to the JCI, the cooperative societies and the cooperative organisations. It is for the Government to ensure that the declared MSP is given to the farmers. But this is not being done. I would like to know whether they are willing to take the responsibility of procurement by entrusting this job to a responsible agency which can procure the entire produce. Otherwise, there is no meaning in declaring an MSP. When an MSP is declared for a crop, it is the duty of the Government to procure it according to the MSP. Will the Government take

necessary steps to see to it that the MSP is provided to the farmers? Thank you.

VEN'BLE DHAMMAVIRIYO (Bihar): Mr Chairman, Sir, I support the Calling Attention Motion by hon. Shri Santosh Bagrodia regarding Jute Packaging Order of the Government. Sir, the jute industry in our country...

MR. CHAIRMAN: You put only questions on the basis of the statement. You put questions and not make a speech.

VEN'BLE DHAMMAVIRIYO: Sir, I have to say something for making a beginning. Sir, we all know that the jute industry was started in Bengal on the banks of the Hooghly in the 18th century. Even today this is a very big industry. We know that the people of Undivided India used to call jute the golden fibre of this country. It is very, very attractive to the people of Bengal, Assam and Orissa. I, would, therefore, like to point out that the price of Rs.785 per quintal is very low. You are saying that it is because of the lesser use of jute by our industry. Sir, jute is connected with the life of the people of the Eastern Region from the very beginning. We have been using jute gunny bags for packing wheat, rice and sugar. But this percentage is very low; it is only 15%.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the chair]

They are paying more and more attention to the use of synthetic bags which are totally unhygienic for packing consumable items. For packing the entire production of pulses we are not using jute bags. We have been using jute bags for hundreds of years. If it is used for packing our pulses, it would be more useful and attractive. We should make value-added items from jute which would be useful not only for this country, but we can export these items to foreign countries also. Another point that I want to make is that we are using jute only for making gunny bags. If you go to Bangladesh, you will find that they are producing very good quality of carpets by using jute. Therefore, I would like to suggest that we should use jute for making carpets. In Bangladesh lakhs of people are employed in the jute carpet industry. These carpets are not only used in households but in other sectors also. I suggest that the Government should take effective action for establishing this new industry of jute carpet so that more and more jute is utilised. The people of Bengal, Bihar and Assam are very

much connected with the jute industry. Their ancestors fought against the British people. The British people forced them to produce jute. But they fought the Britishers and they established the jute industry. Cultivators and agricultural people came forward. There is plenty of land which is flooded with water. Fifteen to twenty per cent of the people of Bengal, Assam and Bihar are agricultural people and they produce jute. I, therefore, humbly suggest to you that you should come forward, and a re-thinking should be there on the Government's policy. The use of gunny bags should not be reduced. This should be the policy of the Government. Much more relaxation should be given to the farmers so that the three crore of people who are involved in the jute industry can get relaxation. A number of jute mills located at the banks of the river Hooghly in Bengal, have given employment not only to the people of Bengal, but to the people of Bihar, Orissa and U.P as well. A good number of people are involved in the jute industry. We have to modernise the jute mills which were established by the Britishers 200-300 years ago. The mills should be modernised so that you can get very good quality production which can be utilised not only for gunny bags and cozy cloth but in many other items. The price we fixed for this financial year is Rs. 785 per quintal. There should be a rethinking on this. You have to increase the price; otherwise the agricultural people of Bihar, Bengal, and Assam would suffer. So, there should be a rethinking on the policy. Thank you.

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, जूट पैकेजिंग आदेश के बारे में जो चर्चा हो रही है और संतोष जी के इस विचार से कि और अधिक जूट दिये जाने से कृषकों, कर्मकारों और सामान्यरूप से उद्योग पर ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इससे मैं तनिक भी सहमत नहीं हूं । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह आरोप लगाए गए हैं, यह कहा गया है कि जूट के बोरे, जूट का पैकेजिंग मैटीरियल अन्य पैकेजिंग मैटीरियल्स से सस्ता पड़ता है । यह जो कहा जा रहा है कि यह मैटीरियल अन्य पैकेजिंग मैटीरियल से सस्ता पड़ता है यह मेरी दृष्टि से गलत है । जहां तक मेरी जानकारी है कि अन्य पैकेजिंग मैटीरियल की तुलना में जूट पैकेजिंग मैटीरियल बहुत महंगा पड़ता है । शुगर उद्योग के बारे में, जैसी चर्चा हुई, शुगर उद्योग के लिए जो जूट के बोरे आते हैं वे 18 रुपए के आते हैं । बल्कि बीच में 21- 22 रुपए तक बिके थे । --- (व्यवधान) -- जीवन राय जी अगर आप शांत रहें तो ठीक रहेगा । 21-22 रुपऐ तक बोरे हो गए थे । मैं एक बात और जानना चाहूंगा, उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि मंत्री जी मुझे बतायें कि दुनिया के कौन से देश ऐसे हैं जहां शुगर को जूट के बोरों में पैक किया जाता है ? मंत्री जी यह आप अवश्य बतायें और सदन को इसकी जानकारी दें । सदन को गुमराह किया जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो शुगर को जूट के बोरों में पैक करता हो । शुगर को अगर जूट के बोरों में पैक किया जाएगा तो उसमें नमी आ जाएगी और शुगर खराब जो जाएगी । यह बात अब गल्ले के बारे में भी सामने आ चुकी है । इसलिए अब नई

व्यवस्था यह बनाई गई है - क्योंकि इस पर बैन लगा हुआ है, बाध्यता है, मजबूरी है अत: जूट के बोरों के अंदर पुन: लाइनिंग लगानी पड़ती है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है । अगर शुगर को ठीक रखना है, गेहूं या चावल जो इसमें पैक किया जाता है उसको ठीक रखना है तो उसमें पोलीथीन की लाइनिंग लगाना आवश्यक हो जाता है । इसी प्रकार जूट के माध्यम से किए जाने वाला पैकेजिंग का खर्चा बहुत अधिक आता है । मंत्री जी स्पष्ट करें कि क्या यह सही है जो जानकारी मैंने सदन की दी है ? कृपया मंत्री जी इसकी पुष्टि करें ।

मैं एक बात और जानना चाहता हूं । आज वैश्वीकरण के कारण जहां प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक बढ़ चुकी हो , दो-दो, चार-चार और पांच-पांच रुपए के लिए परेशानी हो रही हो वहां जूट पेकेजिंग मेटिरियल का खर्च कई जगह लगभग आधा प्रतिशत तक आ जाता है, इसको देखते हुए यह इतना मंहगा है कि यदि उसे घटाया नहीं गया तो भारतीय वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खरी नहीं उतर पाएंगी । जहां पांच रुपये, 10 रुपये बोरे के हिसाब से चीनी या गेहूं के मुनाफे की बात की जा रही हो वहां जबरदस्ती ऐसे पेकेजिंग मेटेरियल को यूज़ करके वस्तुओं को बाजार में मंहगा बना दें, यह तनिक भी उचित नहीं लगता है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कौन कौन से उद्योग हैं जहां जूट की पेकेजिंग आवश्यक रूप से आपने करा रखी है, जहां आपने यह आदेश दिये हैं कि जूट की पेकेजिंग होनी ही चाहिये ? अभी तो आपने दो बातें बताई हैं फूडग्रेंस का प्रोडक्शन और शुगर के इलावा क्या कोई अन्य उद्योग भी हैं जहां आपने यह किया हुआ है कि जूट की पेकेजिंग आवश्यक रूप से की जाए, अगर ऐसा है तो वह कौन कौन से उद्योग हैं, उनके बारे में भी बताएं ? मैं यह जानना चाहता हूं आप यह बताएं कि दुनिया के कौन कौन से देश ऐसे हैं जहां जूट को पेकेजिंग मेटिरियल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ? क्या चीन ऐसा कर रहा है, क्या थाईलैंड ऐसा कर रहा है, क्या इंडोनेशिया ऐसा कर रहा है, क्या ब्रिटेन ऐसा कर रहा है, क्या यूरोप में ऐसा कर रहे हैं या अमरीका ऐसा कर रहा है और कौन कौन सी वस्तुओं के लिए ऐसा कर रहा है ? दुनिया के बहुत से देशों में जूट का उत्पादन होता था लेकिन बहुत से देशों में अब उत्पादन कम हो गया है । ऐसा नहीं है कि जूट का उत्पादन बंद हो जाएगा तो उस भूमि पर दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं हो सकता है । लेकिन यह एक अलग प्रश्न है । प्रश्न मेरा आपसे यह है कि आपकी जानकारी में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जहां जूट के पेकेजिंग मेटिरियल का बाध्यता के तहत इस्तेमाल किया जाता है या केवल भारत में ही ऐसी बाध्यता की जा रही है ? इसका कारण क्या है, यह भी कृपा कर के बताएं । आज एक ओर वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि विश्व परिदृश्य में भारत का अपना एक स्थान बन जाए दूसरी ओर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं । मुझे इस पर आपत्ति है । यह बताया गया कि लगभग ढाई करोड़ किसान और कर्मचारी जूट उद्योग पर निर्भर करते हैं । यदि यह सही है तो हमारे देश की आबादी का ढाई प्रतिशत केवल जूट उद्योग पर निर्भर कर रहा है । यह आंकड़ा मेरी दृष्टि में गलत है । यह सदन को जान बूझ कर भ्रम में डालने की चेष्टा है । मंत्री जी, आप इस भ्रम को दूर करें । अगर वास्तविकता है तो कृपा कर के बताएं । मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी बाध्यता है ? मैं जूट किसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जूट उद्योग की बात कर रहा हूं जो सरकार के नियंत्रण में है, पश्चिमी बंगाल सरकार के नियंत्रण में है, वह प्रतिस्पर्धा से घबरा रहे हैं, वह यह नहीं चाहते कि अन्य पेकेजिंग मेटिरियल में जो विश्व में प्रतिस्पर्धा है, उसके सामने.... **(व्यवधान)**

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : क्या प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री नीलोत्पल बसु : प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि यहां स्टेट गवर्नमेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है । उन्होंने पश्चिमी बंगाल सरकार, राज्य सरकार का सवाल उठा दिया है, यहां सब्जेक्ट से इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न इसलिए उठता है कि सब्जेक्ट से संबंधित बातों को ही रखा जाए । पश्चिमी बंगाल सरकार का कोई रेलेवेंस यहां नहीं है (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोहन : उपसभाध्यक्ष जी, जूट पश्चिमी बंगाल में होता है । जितने भी जूट के उद्योग लगे हैं, पश्चिमी बंगाल में हैं । (व्यवधान) उत्तर प्रदेश में जो भी उद्योग हैं, बंद हो चुके हैं । **(व्यवधान)**

श्री संतोष बागड़ोदिया : जूट आसाम में सब से ज्यादा होता है । **(व्यवधान)**

श्री नरेन्द्र मोहन : संतोष बागड़ोदिया जी मैं यह कह रहा हूं आप उद्योगपति हैं (व्यवधान)

श्री संतोष बागड़ोदिया : वेस्ट बंगाल कोई इंडिया के बाहर का इलाका तो नहीं है । **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप समाप्त करें । कालिंग अटेंशन के लिए पांच मिनट का समय होता है, आपने ही बोला था ।

श्री नरेन्द्र मोहन : जूट पेकेजिंग मेटिरियल आदेश 1987 में आया था, उसके पीछे पश्चिमी बंगाल सरकार का दबाव था और आज भी वही दबाव है, मैं समझता हूं, यह उचित नहीं होगा आज के प्रतिस्पर्धा के युग में । **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : अजीब बात है ।

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल):: पश्चिमी बंगाल सरकार हिन्दुस्तान के बाहर है ? पश्चिमी बंगाल सरकार को हिन्दुस्तान से बाहर कर दो । **(व्यवधान)**

श्री नरेन्द्र मोहन : पेकेजिंग मेटिरियल पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाये जाने चाहियें । मैं जानना चाहता हूं कि पेकेजिंग मेटिरियल पर प्रतिबंध लगाने के पीछे कौन सी नीयत है? **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): जीवन राय जी, जब आपका टर्न आए, उस समय आप बोलिये ।

श्री नरेन्द्र मोहन : मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर पेकेजिंग मेटिरियल पर प्रतिबंध लगाने के पीछे कौन कौन से मुख्य कारण हैं ?

उन कारणों को बताइए ताकि भारतीय उद्योग पैकेजिंग मैटीरियल के कारण कहीं ऐसी

स्थिति न हो जाए कि जो प्रतिस्पर्धा होती है उससे बाहर निकल जाए। यह उचित नहीं होगा। आप इस बारे में पूरी जानकारी सदन को दें। धन्यवाद।

SHRI JIBON ROY : Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, Everybody knows that 80 per cent of the jute mills are located in West Bengal. (*Interruptions*) I am coming to that. I am supporting you. Eighty per cent of the jute mills are located in West Bengal, and West Bengal is located in India, and we all are Indian citizens. (*Interruptions*) You just hear. You do not know the history. (*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र मोहन : आपने मेरी बात में टोका था। आपने मुझे टोका था ...**(व्यवधान)** पैकेजिंग के मामले में राष्ट्र के पास एक संतुलित नीति होनी चाहिए। राष्ट्र के पास पैकेजिंग के मामले में एक संतुलित नीति नहीं है, असंतुलित नीति है और असंतुलित नीति के कारण ...**(व्यवधान)**

SHRI JIBON ROY: Should I say you passed this order to punish West Bengal? (*Interruptions*)

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : चलिए जीवन राय जी. अपनी बात कहिए **(व्यवधान)** Please come to the point.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात) : वे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आसाम में होता है। आप उनका जवाब दीजिए।

श्री संतोष बागड़ोदिया : मैंने कहा जूट प्रोडक्शन ... आप समझिए बात को ..**(व्यवधान)**

श्री नरेन्द्र मोहन : आपने मुझे टोका और मैंने सही बात कही थी। मैंने कहा था कि पैकेजिंग मेटीरियल के बारे में भारत सरकार की अपनी एक संतुलित नीति होनी चाहिए। वर्तमान नीति असंतुलित है और जूट के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं ..**(व्यवधान)** यह नहीं होना चाहिए।

SHRI JIBON ROY: Sir, the fact is that 80 per cent of the jute mills are situated in West Bengal. Earlier, that is, before the partition of Bengal, many of the rice-producing areas in the eastern part of Bengal, Assam, and the entire eastern India, had been converted into jute-producing areas. (*Interruptions*)

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप बैठिए। यह नहीं होना चाहिए कि आप हर बार बोलें।

श्री संतोष बागड़ोदिया : हम लोग चुपचाप सुन रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप भी चुप रहिए। Nothing will go on record, except what Shri Jibon Roy says. (*Interruptions*)

SHRI JIBON ROY: Hon. Members and the House should realise the problem of Bengal and eastern India. They have sacrificed a lot during the partition of India, and they had to part with half of their land. (*Interruptions*)

It is a matter of history that many paddy-producing areas had been converted into jute-producing areas because of the partition. All this planning was done after consultations with the Government of India. It was a part of the Government of India's planning. Now, jute is being produced in that State. If the Government of India desires to change the planning, you have to talk and discuss with the State Government; you have to rehabilitate the mills; you have to rehabilitate the jute producers. The policy has to be formulated in consultation with the concerned State Government. My first point is that you cannot simply do anything, by overriding the State Governments.

Secondly, Sir, it is not correct that frequent strikes take place in jute mills in Bengal. My home is a jute-mill-area. For the last ten years, there had been no such occasion at all of lock-outs in mills. You know it. Without lock-outs, how can a strike take place? Now, because of the initiatives of the State Government, mills are being opened one by one. Of course, the Central Government has also helped in it by enacting this law. Now, taking the strength of this law and enactment, the jute producers and mill owners have invested a lot of money in that area. The State Government has also invested. Both are working together. Probably, this has gone against the wish of the Central Government. Everybody knows that there is a political difference between the Central Government and the State Government. Let the difference be there. But because of political differences with some States, the Central Government should not tease the people of the States, especially a State which has sacrificed a lot, both before independence and after independence. Now, the point is, the order is there, the enactment is there and the Supreme Court judgement is also there; you don't change it. I would like to know whether, while passing this order, or, moderating this order, you consulted the concerned State Governments which produce 80 per cent of the jute. And would you restore

the earlier order? Would you restore the earlier position? You can discuss this with the concerned State Governments; you can discuss it with Shri Narendra Mohan also and come out with a plan. You can involve the State Governments and finalise the thing.

SHRI NARENDRA MOHAN: Sir, my name has been taken. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): No; no. Now, Mr. Margabandu. Please be brief.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Yes, Sir. In this statement it is said that packing of 90 per cent of foodgrains, including sugar, and 15 per cent of urea is done in jute bags. This is given in the statement. Now, Sir, packing in plastic bags saves the material from drenching and also saves it from being wasted. That seems to be the reason why people prefer using these plastic bags. What is the Government doing for this? Will it not affect the jute industry?

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, this is a very important issue and this issue is related to the State to which I belong, that is, Orissa. Orissa is one of the States which produces jute. As has been said by one of my colleagues, there are many persons in Orissa who work in the jute industry. Now, it is not a question of whether it is in West Bengal or in Orissa or in any other part of the country. It is a question of whether we should encourage the jute growers or not. It is a question of whether the Government has taken protective steps to save the jute industry and whether the Government is encouraging the jute growers by giving support price or not.

Sir, I want to mention only two or three points. The first point is regarding the support price being given to the jute growers. I know that it does not always reach the farmers. The middle person always takes it; and many times, it is misutilized. So, will the Government take necessary steps to see that the support price reaches the jute growers directly?

The second point is about the use of jute for packaging. As you know, this IIT, Kharagpur, and many expert institutions have given their opinion in support of using jute bags. They have also given a clear

recommendation to the Government for reducing the use of polythene bags. It has a bad impact on the environment. So, through you, Sir, I would like to impress upon the Government that it must have a clear policy which will be helpful in protecting the jute industries, in protecting the jute workers and in protecting the interest of the jute growers.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, Mr. Minister.

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : सर, जूट के बारे में यहां पर हमारे सभी साथियों ने जो भी बातें बताई हैं, इसके बारे में मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में भी बताया है, लेकिन फिर भी कई बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं जिसका मुझे लगता है कि जवाब देना उचित होगा ।

यह बात सही है कि जो जूट पैकेजिंग मैटीरियल एक्ट है वह 1987 में बना वह जूट सैक्टर को और पर्टिकुलरली जो जूट फार्मर हैं, बंगाल के हमारे जो किसान हैं, उन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था । सर, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया गया । मैं कहना चाहूंगा रिजर्वेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्ट बना, जिसे चैलेंज किया गया था, उस को अपहेल्ड किया ।

सर, जूट के किसानों की आर्थिक स्थिति को ऊपर लाने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं, और भी उठाए जाएंगे और उन में से एक यह है कि सरकार ने हर साल एम0एस0पी0 को बढ़ाने की कोशिश की है । सर, मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 1987-88 में जब यह एक्ट लागू किया गया तब जूट की मिनिमम सपोर्ट प्राइस 285 रुपए के करीब थी और आज वह 785 है और पिछले दो सालों में सरकार ने यह न सिर्फ 20-30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ायी है बल्कि हम ने 70-80 रुपए प्रति क्विंटल भी बढ़ाने की कोशिश की है। उसी की वजह है कि वर्ष 1987-88 में जहां हमारी ईल्ड पर हैक्टेयर 14.96 क्विंटल थी, आज वर्ष 1999-2000 में वह पर हैक्टेयर बढ़कर 21.83 किलोग्राम हुई है । तो जूट किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार कमिटेड है और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने होंगे, उन्हें लेने में हम हिचकिचाएंगे नहीं।

श्री नीलोत्पल बसु : लेकिन उसे कोई खरीदता नहीं है । ....**(व्यवधान)**....

श्री काशीराम राणा : सर, माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया कि जूट अच्छी तरह पर्चेज नहीं किया जाता है । आज चाहे आसाम हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, 171 पर्चेज सेंटर्स हम ने खोले हैं और जब-जब एम0एस0पी0, क्योंकि उस में कंडीशन है कि अधिकतम 18 परसेंट मोइस्चर के साथ, 785 रुपए के नीचे गया है तो जे0सी0आई0 ने एम0एस0पी0 की प्राइस से खरीदने के लिए हमेशा कोशिश की है, हमेशा उतना पैसा दिया है और कभी-कभी 20-30 रुपए हम ने ज्यादा भी दिया है । सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं पश्चिम बंगाल के लोगों की इस बात से सहमत हूं कि उन के यहां ज्यादा जूट होता है, लेकिन पार्टीशन की वजह से वहां बहुत सफर भी

हुआ है क्योंकि अच्छा जूट वहां चला गया हम ने समय-समय पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि आप भी हमें जूट पर्चेज करने में सहयोग करें । सर, मुझे खुशी है कि वेस्ट बंगाल की जो कोऑपरेटिव सोसायटी है, उनको वहां करीब 37 सेंटर्स खोलने की परमीशन दी गयी है। लेकिन मुझे ताज्जुब यह है कि जब हमारे सांसद ऐसे सवाल उठाते हैं तब मैं उन से पूछना चाहूंगा कि क्यों आज तक सिर्फ कोऑपरेटिव सोसायटी स्पांसर्ड बाय द गवर्नमेंट के 5 ही सेंटर्स वहां पर चल रहे हैं । हम चाहते हैं कि अगर जूट के किसानों के बारे में सही मायने में वहां की सरकार को इंटरेस्ट है तो वह ज्यादा-से-ज्यादा पर्चेज सेंटर्स खोले । सर, इसीलिए मैं यहां एक उदाहरण देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की अर्थ-व्यवस्था में जूट बड़ा इम्पोर्टेन्ट फैक्टर है ।

उसी तरह, सर, महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन वहां के किसानों के लिए आधार है और इसीलिए वहां की राज्य सरकारें, वैसे तो कॉटन का एम0एस0पी0 भी भारत सरकार तय करती है, फिर भी गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारें अपने परचेज़ सेंटर खोलकर परचेज़ करती हैं और कहीं-कही तो भारत सरकार ने जो एम0एस0पी0 तय किया होता है, उससे ज्यादा भाव देकर वहां पर कॉटन खरीदती हैं, और इस तरह से वहां के कॉटन के किसानों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्न करती हैं । वैसे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कॉटन प्रिक्योरमेंट एक्ट बनाया है और गुजरात गवर्नमेंट हर साल 100 करोड़, 200 करोड़ रुपए देकर भाव ऊपर उठाने की कोशिश करती है, मैं आपसे आग्रह करुंगा कि आप भी पश्चिमी बंगाल सरकार को हमारी यह रिक्वेस्ट पहुंचाएं ..

श्री जीवन राय : मिल में प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रिक्योरमेंट कैसे होगा ?

श्री काशीराम राणा : जीवन राय जी, मैं प्रोडक्शन पर भी आऊंगा । आप पश्चिमी बंगाल सरकार को रिक्वेस्ट करें कि गुजरात व महाराष्ट्र की तरह हमारे पटसन के किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिले, उसके लिए आप भी कुछ कदम उठाएं । इसीलिए आज जूट कारपोरेशन आफ इंडिया के 171 सेंटर हैं । ..**(व्यवधान)**..

VEN'BLE DHAMMAVIRIYO: Mantriji, for your information .....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): He is not yielding, Dhammaviriyoji.

वेन ब्ले धम्मा विरियो : हम लोग नहीं कर रहे, आज 8.50 रुपए में लोग मार्किट में सेल करते हैं, आपके पास तो 7.85 रुपए है, आपको क्यों सेल करें । ..(व्यवधान)..

श्री काशीराम राणा : हमारा कपड़ा मंत्रालय और भारत सरकार वहां पर सेंटर खोलने के लिए जरूर सोचेंगे । इसीलिए तो हमने एम0एस0पी0 तय की, इसीलिए तो जे0सी0आई0 अभी चल रही है । हमने जे0सी0आई0 को 33 करोड़ की बैंक गारंटी भी दी है जिससे कि वे परचेज़ कर सके ताकि कभी भी हमारे पटसन के किसानों को परेशानी न हो ।

सर, जूट पैकेजिंग एक्ट के बारे में यहां पर हमारे माननीय सांसदों ने बहुत सारे सवाल उठाए । हमारे संतोष बागड़ोदिया जी कहते हैं कि आई हेव बीन मिसगाइडिड । सर, लास्ट टाइम भी इन्होंने यही कॉलिंग अटेंशन उठाया था, मैंने जवाब दिया था । आज दो महीने बाद वही का वही कॉलिंग अटेंशन फिर दिया है और वही आर्डर है, उसके बाद कोई नया आर्डर, कोई रिडक्शन कोई रिलेक्सेशन हमने नहीं दिया, फिर भी इन्होंने कहा कि that others have misguided me. Sir I want to say that I have not been misguided by my Ministry or by officials or by any one else. The Government has not taken the decision under any pressure. We have taken the decision purely on merit, based on the prevailing situation.

सर, जूट पैकेजिंग एक्ट में डाइल्यूशन क्यों करना पड़ा, यह प्रश्न हमारी सांसद सरला माहेश्वरी जी ने उठाया । सर, लास्ट ईयर जूट पैकेजिंग एक्ट में कपड़ा मंत्रालय को यह अधिकार दिया गया था कि 10 परसैंट हम शूगर में फ्लेक्सिब्लिटी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं । सरकार के दिल में अगर किसानों का हित नहीं होता तो हम 10 परसैंट का कभी भी इस्तेमाल करते, लेकिन हमने नहीं किया । हमने हमारा अधिकार होते हुए भी 10 परसैंट डाइल्यूशन या फ्लेक्सिब्लिटी का उपयोग नहीं किया । सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज किसानों के लिए हम बात करते हैं, लेकिन तब जो सही बात थी यानी शार्टेज पैदा करके, जब देश को गनी बैग्स की रिक्वॉयरमेंट थी और जब हमारे सामने क्रॉप जूट थी, उस समय इसे पूरा ठप्प करने की साजिश हुई थी, इसलिए वहां पर स्ट्राइक कराई गई । सर, मैं जब कलकत्ता गया था, तो मैं खुद पश्चिमी बंगाल के हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था ।

मैंने उनसे कहा था कि आप इसमें इंटरवीन करिए, आप यह स्ट्राइक विदड्रॉ कराइए, भारत सरकार यह नहीं चाहती कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो क्योंकि अल्टीमेटली वह लाभ किसानों को मिलना चाहिए, हमारे पटसन के किसानों को मिलना चाहिए । मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की थी, रिक्वैस्ट की थी कि आप हस्तक्षेप करिए लेकिन फिर भी मेरी रिक्वैस्ट ठुकराई गई और आखिर में सरकार ने यह कदम उठाया और तब हमने डाईल्यूज़न किया। महोदय, एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ....**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप पहले उनकी बात तो सुन लीजिए, अगर आप सैटिस्फाइड न हों तो आप जो जानकारी चाहते हैं, वह मांग सकते हैं ।

श्री जीवन राय : 2 रोज के लिए हड़ताल हुई, चीफ-मिनिस्टर ने इंटरवीन किया, हड़ताल निपटा दी गई, फिर डाईल्यूज़न का क्या मतलब था ? फिर किसान को मारने का क्या औचित्य था ....**(व्यवधान)**

श्री नरेन्द्र मोहन : हर राज्य में किसान हैं ....**(व्यवधान)**

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल) : हम समझ गए, डाईल्यूज़न का बहाना चाहिए

था, बहाना मिल गया तो कर दिया ....**(व्यवधान)**

श्री जीवन राय : बहाना करिए, पुलिस बुलवाइए ।

श्री दीपांकर मुखर्जी : बहाने से नहीं होना चाहिए ...(व्यवधान) स्ट्राइक का बहाना अच्छा बहाना है, Kindly explain the position.

श्री नरेन्द्र मोहन : उपसभाध्यक्ष महोदय, बहाने की कोई बात नहीं है ....(व्यवधान)

श्री दीपांकर मुखर्जी : अरे भाई, मैं कभी ऐसा कहता हूं ? आप मुझे फोर्स कर रहे हो ऐसा बोलने के लिए ।

श्री जीवन राय : ठीक है, मंत्री जी, आप एक बार कह दीजिए, पुराना सब हो गया, अब रिस्टोर करवा दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : मंत्री जी का पूरा वक्तव्य तो सुनिए, आप उनका उत्तर तो सुन लीजिए, उसके बाद आप जो जानकारी चाहते हैं, वह ले लीजिए । पहले उनको अपना उत्तर पूरा करने दीजिए ।

श्री जीवन राय : रिस्टोर करवा दीजिए, यह इशू खत्म कर दीजिए ।

श्री काशीराम राणा : महोदय, यह हमारे देश की खुशकिस्मती है कि आज हमारे देश का शूगर प्रोडक्शन बढ़ गया है । महोदय, 1997-98 में यह 12.20 मिलियन टन था और आज यह 18 मिलियन टन तक पहुंच गया है । फूडग्रेन्स का प्रोडक्शन 195 से 210 मिलियन टन हो गया है । फर्टिलाईज़र भी बढ़ा है और आई.एल.ओ. ने कहा है कि ....**(व्यवधान)**

श्री जीवन राय : बोल दीजिए कि जूट मिल्स चलने नहीं देंगे, बस ....**(व्यवधान)** गात्रे को मारेंगे, बोल दीजिए ...**(व्यवधान)**

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Sir, kindly ask him not to interrupt. Let the Minister reply. On every sentence he is interrupting.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: You are using it as a political whip.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Kindly, let him complete his reply.

श्री जीवन राय : रिस्टोर कर दीजिए, हो गया ...**(व्यवधान)** यह ठीक नहीं है, आपको शोभा नहीं देता है ।

आप रिस्टोर कर दीजिए, बस ....**(व्यवधान)** रिस्टोर करने के लिए पूछिए ना मंत्री जी से ...**(व्यवधान)** गौतम जी, आप तो मजदूरों के साथ हैं, जनता के साथ हैं, बोल दीजिए ना मंत्री जी को ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): जीवन राय जी, अब आप मिनिस्टर साहब को बोलने दीजिए ।

श्री काशीराम राणा : महोदय, जितना सैकिंग मैटीरियल है 15-16 लाख टन, उसमें से हैशियन को निकालकर बाकी 9 लाख टन अवलेबल है, हमने उसका पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की है चाहे वह ग्रेन्स में हो, चाहे शूगर में हो, चाहे फर्टिलाईज़र में हो । जब इसकी शॉर्टेज हुई, तभी हमने डाईल्यूज़न किया है, और हमारे पास कोई वजह नहीं है डाईल्यूज़न करने की ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Nothing will go on record, except the reply of the Minister.

SHRI JIBON ROY:

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) : Let him reply first.

नहीं-नहीं, पहले आप उनका उत्तर सुन लीजिए उसके बाद जो आप जानना चाहते हैं वह जान लीजिए। Nothing will go on record.

श्री काशीराम राणा : सरकार की ओर से किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारे लाखों मजदूर जो जूट मिल से अपनी रोजगारी हासिल करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। हम नहीं चाहते कि कोई मिल बन्द हो, हम नहीं चाहते, सरकार नहीं चाहती। हम यह भी नहीं चाहते कि हमारे किसानों को कम दाम मिले। हम चाहते हैं कि उनको उचित दाम मिले, हम चाहते हैं कि उसके जूट प्रोक्योरमेंट के लिए सेंटर खोले। भारत सरकार ने समय-समय पर यह कदम उठाया है। इतना ही नहीं, हमने अभी-अभी यह जूट टेक्नॉलोजी क्योंकि जो गनी बैग -जूट बैग होते हैं यहां पर जो हमारे पास उपलब्ध हैं वह हैवी वेट है, जबकि हमारे मिल में जो हैसियन होता है जो एक्सपोर्ट करते हैं लाइट वेट की करते हैं। हम कहते हैं कि बैग की जो कॉस्ट है कैसे हम कम कर सकें, इसकी तो कुछ कोशिश करें।हम चाहते हैं कि इसके बारे में कोई न कोई ऐसी नई टेक्नॉलोजी का उपयोग हो इसलिए हमने टेक्नॉलोजी अपग्रेडेशन स्कीम के अंदर भी जूट सैक्टर को कवर किया है। इतना ही नहीं, सर, इस देश में कॉटन की क्वालिटी सुधारने के लिए और पर हेक्टेयर यील्ड बढ़ाने के लिए हमने कॉटन टेक्नॉलोजी मिशन शुरु किया है। सर, उसी तरह हम एक जूट टेक्नॉलाजी मिशन करने के लिए

*Not recorded.

भी जा रहे हैं। बंगला देश के जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बंगाल में, हमारे आसाम में ऐसा भी जूट बने। वह भी इसी प्रकार की हाई क्वालिटी का जूट बने और इसीलिए हम टेक्नॉलोजी मिशन न और जूट की भी शुरूआत करने जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि राज्य सरकारें हमें सहयोग करें। क्या कभी..... **(व्यवधान)**

हमने भारत सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। वेस्ट बंगाल सरकार क्यों नहीं इस पर सेल्स टेक्स निकाल देती है? उसको निकाल देना चाहिए। वह जूट सेंटर क्यों नहीं खोलती है जबकि उसे खोलना चाहिए और हम उसमें सहयोग करेंगे।

सर, श्रीमती माहेश्वरी जी ने बताया कि पूर्वी राज्यों की हम उपेक्षा कर रहे हैं। बहन जी, हम कभी भी पूर्वी राज्यों की उपेक्षा नहीं करते। हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान पूर्वी राज्यों में है, क्योंकि देश का वह एक अखंड भाग है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र हो, जिस प्रकार से गुजरात हो इस प्रकार से वेस्ट बंगाल या राजस्थान या पूर्वी राज्यों में भी समृद्धि, रोजगारी हो इसलिए वहां भी भारत सरकार की ओर से प्रयत्न हुआ है। जो भी आज अर्थव्यवस्था की हानि हुई है, आप आत्म-चिंतन करें कि क्यों हुई है। आज वेस्ट बंगाल से कई इंडस्ट्रीज बाहर जा रही हैं इसका आप चिंतन करें। मुझे लगता है कि अगर जूट में भी राज्य सरकारों का सहयोग मिलेगा तो किसानों के लिए हम और सारी योजनाएं बनाकर उनका जो इंटरेस्ट है वह प्रोटेक्ट करने के लिए वायदा करते हैं। The Government of India is totally committed to protect our jute farmers.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : सरला जी बोलिए। बस एक-एक मिनट।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि वह जो इस बात को बार-बार कह रहे हैं कि -हां साहब, कमी हो गई इसलिए हमने डॉयलूशन किया। मैं यह जानना चाहती हूं कि जो डॉयलेशन आपने किया उसमें असल में कितना डॉयलूशन हुआ? क्या आपने कभी इस बात की तहकीकात की है? मेरे पास में जो आंकड़े हैं यह मैं आपको बताऊं कि हंड्रेड परसेंट डिफॉल्टर कम्पनियां हैं जो ऐक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए काम कर रही हैं। इसके बारे में अगर आप सदन को बताएं तो अच्छा होगा। आंकड़ों की जानकारी के बाद में हम यह पाते हैं कि एक बार मंत्री जी ने डॉयलूशन कर दिया और बार-बार एस0सी0 की सिफारिशों के आधार पर डॉयलूशन होता रहा। 20 परसेंट डॉयलूशन किया और हकीकत में 100 परसेंट हुआ। तो ऐसी कितनी डिफॉल्टर कम्पनियों को आपने पहचाना है, उनकी शिनाख्त की है तथा उनके लिए क्या दंड का प्रावधान किया है? तो क्या इस तरह की कम्पनियां आपके ख्याल में आई हैं?

श्री संतोष बागड़ोदिया : डॉयलूशन के बारे में मंत्री ज़ी ने मेरी एक बात को कह कर अन्य सारी बातों को उड़ा दिया। जबकि डॉयलेशन की जो मेन बात थी -पैकेजिंग आर्डर, और वह जूट के ऊपर चले गए, फार्मर्स पर चले गए। तेल तो तिल में से ही निकलेगा और तेल कहां से मिलेगा जब तिल ही न हो।

जब माल बिकेगा ही नहीं तो कैसे होगा। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह

जो मानीटरिंग की बात है तो क्या एश्योरेंस मिलेगा कि एक आईटम आप हंड्रेड परसेंट खाली जूट गुड्स में दे देंगे, जो भी आईटम आपको देना हो, यह परसंटेज मत करिए। अगर आप भलाई करना चाहते हैं, आपको लगता है कि जूट गुड्स एवेलेबल नहीं है तो आप आईटम्स कम कर दीजिए, लेकिन आप परसंटेज की मानीटरिंग नहीं कर सकते हैं। इसका आपने जबाव नहीं दिया है।

उपसभाध्यक्ष जी, एक बात और है कि सोये हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जागे हुए को नहीं जगाया जा सकता है।

The first business philosophy to part with is self-conceit, for, it is impossible for anyone to begin to learn what he thinks that he already knows.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): श्री नरेन्द्र मोहन। आप संक्षेप में पूछिएगा नहीं तो फिर से डिसकशन शुरू हो जाएगा।

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है। फिर भी, मंत्री जी कृपया करके मुझे यह बता दें कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है भारत के अतिरिक्त जहां आटा, शक्कर एवं अन्य खाद्यात्र पदार्थ जूट में पैकिंग किए जाते हों? इसका कारण क्या है? न अमेरिका उनका प्रयोग कर रहा है, न ब्रिटेन कर रहा है, न जर्मनी कर रहा है, न जापान कर रहा है, न चीन कर रहा है, आखिर क्यों? इसके पीछे कोई तो वैज्ञानिक कारण होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जूट पैकेजिंग मैटेरियल बहुत महंगा पड़ता हो और अगर उसमें आटा और शक्कर की पैकिंग की जाती हो तो उसको क्षति पहुंचती हो?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : Sir, the Calling Attention was on the relaxation in the Jute Packaging Order. It was diluted. My only question to the hon. Minister is whether, right now okay, whatever has happened has happened-in response to requests from all sides, he would kindly give an assurance that this part of the order which was diluted would be brought back to its original. If yes, very good; if no, why?

VEN'BLE DHAMMA VIRIYO : I have a simple question to the hon. Minister. His suggestion is that the State Government should establish a research centre. The Central Government have established a very good Cotton Research Institute at Nagpur. It is a very big area. Why should not such research centres be established in the eastern region? Why should the State Government come forward to do that? You can ask for the land. But if you are putting this big burden on the State Government, it is not correct. Another thing is, I would remind you that in the world, people do not use

'shakkar', they only use 'sugar'

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, last, Mr. Jibon Roy.

SHRI JIBON ROY: The Minister, in his speech, has mentioned West Bengal. He has said that companies and factories are coming out of West Bengal. The fact is that now, it is going to the old past. You take note of it and please correct the statement you have made. The second question is... No. This is actually the question. Before the dilution, did the hon. Minister discuss it with the concerned State Governments?

श्री काशीराम राणा: सर, सरला माहेश्वरी जी ने सवाल उठाया है कि जो डिफाल्टर कम्पनियां हैं वे उसका मिसयूज कर रही हैं। वह अगर किसी कम्पनी का नाम बतायें तो हम जरूर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जो परसंटेज जूट पैकेजिंग मैटेरियल एक्ट में है उसकी हम बहुत अच्छी तरह से और बहुत स्ट्रिक्टली मानीटरिंग करेंगे।

सर, संतोष बागड़ोदिया जी ने कहा कि सोये को तो जगाया जाता है लेकिन जो जागता है उसको कैसे.. सर, यह सरकार कभी सोई नहीं। हमने जागकर और बड़ी स्वस्थ हालत में डिसीजन लिया है। हमारे जागते हुए लिए गए डिसीजन में अगर वह सो गए तो हम क्या करें और बाद में उनको खबर पड़ी तो हम क्या करें।

सर, नरेन्द्र मोहन जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और उन्होंने सही स्थिति हाउस के सामने रखने की कोशिश की है। वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं तब मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारी बातों में एक बात बताई कि पैकेजिंग में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में आज पॉलिथीन का यूज होता है और उससे देश की इकानामी को लाभ होता है।

जो कंज्यूमर है, उसको भी फायदा पहुंचता है, यह बात एक अर्थ में सही है। इसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि कैसे हमारे किसानों को प्रोटैक्ट किया जाए । जैसा कि दीपांकर जी ने बताया कि हमने रिलैक्सेशन किया । सर, रिलैक्सेशन क्यों किया, वह मैंने बताया । ..(व्यवधान)..

श्री नरेन्द्र मोहन : मैंने पॉलीथीन की बात ही नहीं की है, मैंने कागज की बात भी की है। ..(व्यवधान)..

श्री काशीराम राणा : डॉयलूशन क्यों हुआ, वह भी मैंने बताया और मुझे लगता है कि पूरी स्थिति को देखते हुए, जो स्टैंडिंग ऐडवाइज़री कमेटी है, उन्होंने सबको सुनने के बाद इस संबंध में जो रिकॅमेंडेशंस भेजी, उसी बेस पर सरकार ने डिसीज़न लिया है । इसके अतिरिक्त ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में जो बताया है, उस संबंध में हम जरूर खयाल रखेंगे कि कहां पर जूट का

पोटैंशियल है । उस संबंध में हम जरूर सोचेंगे । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, the House is adjourned for lunch till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at thirty-one minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock,THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) *in the Chair.*

THE FOREFEITURE (REPEAL) BILL, 2000

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): Sir, on behalf of Shri L.K. Advani, my senior colleague,

I move:

That the Bill to repeal the Forfeiture Act, 1859, be taken into consideration.

Sir, this is a very innocuous Bill, just repealing and removing the vestiges of the British days, the remnants of the old Act. When there was no IPC, when there was no Cr.PC, when there was no procedure, heinous crimes were punished, at that time, by appointment of commissions, and those commissions used to have their own procedure, used to formulate their own rules, and would seize, forfeit the properties of the people. As far as I understand, Sir, after the 1857 *gudder*, the revolt of 1857, all these crimes were considered heinous and the properties were forfeited. In 1869, some of the provisions of the Forfeiture Act were repealed, but still some Sections remained to be repealed. We are now proposing to remove all those laws which are just a burden on the Statute Book, which are unnecessary.

The Commission headed by Shri P.C.Jain, which was appointed to review all Administrative Laws and to point out the laws which are